न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 10/2012

महेशचन्द शर्मा पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहमण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजाराम पुत्र पातीराम जाति ब्राहमण निवासी सिरौद तहसील रूपवास
2. खूबकला पत्नी जगमोहन
3. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र जगमोहन
4. मीना पुत्री जगमोहन
5. दिनेश पुत्र जगमोहन
6. गीता पुत्री बृजमोहन
7. महावीर पुत्र बृजमोन
8. पुष्पा पुत्री बृजमोहन
9. मुकेश पुत्र मोहन

.....असल रेस्पो0

10 रमाकान्त पुत्र राधावल्लभ जाति ब्राहमण निवासी चांदौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 712 दिनांक 31.05.1989 वाकै ग्राम सिरौद तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 31.05.1989 पेश की गई है। नामान्तरकरण संख्या 721 मृतक पातीराम की विरासत का खोला जाकर तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 की तलबी की गई। योग्य उभयपक्ष उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने पातीराम की मृत्यु के बाद जो विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है कानूनन गलत है। तहत न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया। विवादित नामान्तरकरण केवल पातीराम के पुत्रों व पत्नी के नाम खोला गया है जबकि स्व0 पातीराम की दो पुत्रियां लीलादेवी, अंगूरीदेवी भी विधिक वारिसान थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि मृतक पिता पातीराम की विरासत में पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों का भी बराबर का हक है। तहत न्यायालय ने बिना वारिसान की जांच किये यह नामान्तरकरण स्वीकार किया है। उनका यह भी कहना है कि नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 28.12.2011 को नकल बगैरा लेकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 712 निरस्त किया जाकर मृतक पातीराम की विरासत में उनके पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी हक दिलाया जावे।

योग्य अभिभाषक रैस्पों0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि 30 साल बाद म्याद बाहर पेश की गई जो खारिज की जावे। उनका यह भी कहना है कि मृतक पातीराम की पुत्रियां अंगूरी, लीला ने अपने जीवन काल में नामान्तरकरण को चलेन्ज नहीं किया है। ये जीवित वक्त नामान्तरकरण कार्यवाही से सहमत थी। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अगर अपीलान्ट का कोई हक बनता है तो वह दावे में अपने अधिकार तय करा सकता है। नामान्तरकरण कार्यवाही सही की गई है इसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जाते है। विवादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हक है या नहीं यह सारे तथ्य दावें में तय होते है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 31.05.1989 पेश की गई है। नामान्तरकरण संख्या 721 मृतक पातीराम की विरासत का खोला जाकर तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 की तलबी की गई। योग्य उभयपक्ष उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने पातीराम की मृत्यु के बाद जो विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है कानूनन गलत है। तहत न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया। विवादित नामान्तरकरण केवल पातीराम के पुत्रों व पत्नी के नाम खोला गया है जबकि स्व0 पातीराम की दो पुत्रियां लीलादेवी, अंगूरीदेवी भी विधिक वारिसान थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि मृतक पिता पातीराम की विरासत में पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों का भी बराबर का हक है। तहत न्यायालय ने बिना वारिसान की जांच किये यह नामान्तरकरण स्वीकार किया है। उनका यह भी कहना है कि नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 28.12.2011 को नकल बगैरा लेकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 712 निरस्त किया जाकर मृतक पातीराम की विरासत में उनके पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी हक दिलाया जावे।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि 30 साल बाद म्याद बाहर पेश की गई जो खारिज की जावे। उनका यह भी कहना है कि मृतक पातीराम की पुत्रियां अंगूरी, लीला ने अपने जीवन काल में नामान्तरकरण को चलेन्ज नहीं किया है। ये जीवित वक्त नामान्तरकरण कार्यवाही से सहमत थी। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अगर अपीलान्ट का कोई हक बनता है तो वह दावे में अपने अधिकार तय करा सकता है। नामान्तरकरण कार्यवाही सही की गई है इसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जाते है। विवादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हक है या नहीं यह सारे तथ्य दावें में तय होते है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में

आर.बी.जे. 2002 पेज 581 एवं आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 77 उद्धरित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 31.05.1989 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तरकरण मृतक पातीराम की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 30 साल बाद पेश की है। मृतक पातीराम की पुत्रियों ने नामान्तरकरण स्वीकार होने के बाद अपने जीवन काल में इस अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 31.05.1989 के खिलाफ अपील पेश नहीं करना यह दर्शाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उनकी सहमति से खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का 30 साल बाद विवादित आराजी में नामान्तरकरण को चैलेन्ज करते हुये अधिकार के लिये अपील पेश की गई है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिसकिल कार्यवाही है इसमें किसी के हक हकूक तय नहीं किये जाते है। अगर अपीलान्ट विवादित आराजी में अपना अधिकार रखता है तो उसे सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर अपने हक हकूक तय कराने चाहिये। अस्तुः अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार रूपवास की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)